


# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन संचालित विधालय में प्रधानाचार्य—उमावि स्तर के शिक्षा अधिकारीं का कॉलम संख्या—3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या—4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित कार्मिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या—3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।


क्रंस	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	राधेश्याम जनागल प्रधानाचार्य राउमावि बाघोली, उदयपुरवाटी, झुंझूनू	सितम्बर 2019 से नवम्बर 2019	राउमावि 12 हिंश्यामकी, घडसाना, श्री गंगानगर
2	श्री शिवलाल मीना प्रधानाचार्य राउमावि कुण्डेरा, सवाई माधोपुर	सितम्बर 2018	राउमावि देईखेडा, बूंदी
3	श्रीमती अमृता दाधिच प्रधानाचार्य राउमावि एकलिंगपुरा, गिर्वा उदयपुर	जून 2019  जुलाई 2019	राउमावि गोवर्धन विलास, उदयपुर  राउमावि एकलिंगपुरा, उदयपुर
4	श्रीमती सुमन शर्मा उपनिदेशक(प्रधानाचार्य—उमावि एवं समकक्ष) राजस्थान रेट ऑफन स्कूल जयपुर	दिसम्बर 2019	राउमावि नाहरोली गुर्जर, भरतपुर

  
 (नूतन बाला कपिला)  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी—1,2/वेतन व्यवस्था/2020/185 दिनांक:—23.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप—2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय—माध्यमिक
- 6 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 7 सम्बन्धित कार्मिक / संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)